यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

सरकार बनाम अजीत वगै0

मु0नं0 02/2025

हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.2025	आज पत्रावली पेश हुई। सरकार पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार महवा की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम कीर्तिनंगला एवं ग्राम खोहरानन्द सिंह का प्रस्तावित रास्ता 0.1960 हैक्टेयर मौके पर स्थाई रूप से चालू है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नही है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 से प्रभावित नही है। संबंधित खातेदारों ने मुताबिक मौका पर्चा ग्राम कीर्तिनंगला एवं खोहरानन्द सिंह दिनांक 15.04.2025 प्रस्तावित रास्ता को मौके पर स्थाई रूप से चालू है। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार महवा को निर्देशित किया जाता है कि वो उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में मुताबिक नक्शा ट्रेस गै0मु0 रास्ता दर्ज करे। उक्त भूमि संबंधित काश्तकारों की खातेदारी में ही रहेगी। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उप खण्ड अधिकारी महवा (दौसा)	